

चतुर्थ श्रेणी संवर्ग से तृतीय श्रेणी संवर्ग में प्रोन्नति के संबंध में
आज दिनांक 28.09.2026 को चयन समिति
(Selection Committee) की हुयी बैठक की कार्यवृत्त ।

प्रशासनिक समिति, जनपद न्यायालय सुलतानपुर की आख्या दिनांकित 24.09.2026 का परिशीलन किया गया। प्रस्तुत आख्या में यह स्पष्ट किया गया है कि चतुर्थ श्रेणी संवर्ग से तृतीय श्रेणी संवर्ग में प्रोन्नति हेतु जो आवेदन पत्र आहूत किये गये, उसमें कुल 30 आवेदन प्राप्त हुए। प्रशासनिक समिति द्वारा इन आवेदन पत्रों से सम्बन्धित अभ्यर्थियों की सेवा पुस्तिका का अवलोकन किया, जो प्रोन्नति के मापदण्डों को पूरा करते हों। उक्त 30 अभ्यर्थियों में कुल 29 अभ्यर्थियों को प्रोन्नति हेतु पात्र माना गया है तथा चतुर्थ श्रेणी संवर्ग से तृतीय श्रेणी संवर्ग में प्रोन्नति के लिए अर्ह अभ्यर्थियों की योग्यता का निर्धारण लिखित प्रतियोगी परीक्षा के माध्यम से कराये जाने के सम्बन्ध में उक्त परीक्षा के आयोजन हेतु एक उपसमिति का गठन किये जाने की संस्तुति की गयी है।

चूंकि वर्तमान में जनपद न्यायालय, सुलतानपुर में तृतीय श्रेणी संवर्ग में प्रोन्नति हेतु कुल 05 पद रिक्त हैं, जबकि प्रोन्नति हेतु अर्ह अभ्यर्थियों की संख्या 29 है। उ०प्र० राज्य जनपद न्यायालय सेवा नियमावली 2013 की अनुसूची-‘ख’ के क्रम सं० ‘5’ के अनुसार प्रोन्नति Seniority cum merit के आधार किया जाना है। Seniority cum merit के आधार पर चतुर्थ श्रेणी संवर्ग से तृतीय श्रेणी संवर्ग में प्रोन्नति हेतु लिखित परीक्षा लिये जाने का निर्णय चयन समिति द्वारा लिया गया है।

चयन समिति के सदस्यों द्वारा उक्त लिखित परीक्षा के लिए यह निर्णय लिया गया है कि लिखित परीक्षा 50 अंकों की होगी, जिसमें न्यूनतम 17 अंक (कुल पूर्णांक का 33 प्रतिशत) या उससे अधिक अंक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थियों को सुपात्र मानते हुए मुख्यतः वरिष्ठता के आधार पर जिनकी पांच वर्ष की मौलिक व नियमित सेवा सन्तोषजनक पूर्ण हो चुकी हो, को पात्र माना जायेगा। परीक्षा की तिथि दिनांक 05.10.2026 सुबह 08.30 बजे से 09.30 बजे तक निर्धारित की जाती है। उक्त परीक्षा जनपद न्यायालय, सुलतानपुर के परिसर में आयोजित की जायेगी।

परीक्षा का प्रारूप निम्न है-

- | | |
|--|----------|
| 1. हिन्दी श्रुति लेखन (इमला) | — 15 अंक |
| 2. न्यायालय कार्य में प्रयुक्त होने वाले सामान्य हिन्दी के 20 शब्द | — 10 अंक |
| 3. न्यायालय कार्य में प्रयुक्त होने वाले सामान्य अंग्रेजी के 20 शब्द | — 10 अंक |
| 4. सामान्य ज्ञान | — 15 अंक |

चयन समिति द्वारा यह भी निर्णय लिया गया है कि लिखित परीक्षा के सफल आयोजन हेतु न्यायालय के न्यायिक अधिकारीगण की एक उपसमिति गठित की जाये, जिसकी देख-रेख में यह परीक्षा संपन्न की जाये।

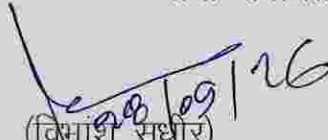
अतः निम्नलिखित न्यायिक अधिकारीगण की उपसमिति गठित की जाती है-

1. **श्री स्वतंत्र प्रकाश,** अध्यक्ष
अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश/
एफ0टी0सी0-द्वितीय, सुलतानपुर
2. **श्री मयुरेश श्रीवास्तव,** सदस्य
अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,
न्यायालय संख्या-21, सुलतानपुर
3. **सुश्री प्रियंका दिवाकर,** सदस्य
सिविल जज(अ0ख0)(एफ0टी0सी0)/
(घरेलू हिंसा), सुलतानपुर

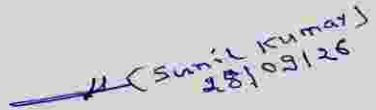
उक्त उपसमिति को आदेशित किया जाता है कि वह नियत तिथि दिनांक 05.10.2026 को आयोजित लिखित परीक्षा का संचालन एवं तत्पश्चात् अभ्यर्थीगण की उत्तर पुस्तिकाओं की जांच कर अपनी आख्या प्रेषित करना सुनिश्चित करें।

इस आदेश की एक प्रति जनपद न्यायाधीश के नोटिस बोर्ड पर सुव्यवस्थित ढंग से चस्पा करने हेतु केन्द्रीय नाजिर व्यवस्था करें तथा सिस्टम ऑफिसर को एक प्रति इस जजशिप के वेब पोर्टल पर अपलोड करने हेतु प्रेषित की जाए।

सभी संबंधित सूचित हों।


(विभांशु सुधीर)
सिविल जज, प्रवर खण्ड,
न्यायालय संख्या-15, सुलतानपुर
सदस्य, चयन समिति।


(संध्या यादवी)
अपर जिला न्यायाधीश,
न्यायालय संख्या-1, सुलतानपुर
सदस्य, चयन समिति।


(सुनील कुमार-IV)
जनपद न्यायाधीश
सुलतानपुर
अध्यक्ष, चयन समिति।